



कार्यालय प्रभावी वनाधिकारी, त्रियही पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्यानी

शीशमवाग वन परिशार, घेल रोड, हीरानगर, हल्द्यानी, जिला नैनीताल
E-mail : dfo@rediffmail.com, Phone: 05946-254309, Fax: 05946-250298

पत्रांक संख्या 4254 / 12-1 दिनांक, 25/12/ 2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण इन्डिरा नगर, फॉरेस्ट कालौनी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय –

Proposal no. FP/UK/ROAD/26820/2017, जनपद ऊधमसिंह नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 74 कि0मी0 239 (सिरसामोड़) कैम्प रोड से शक्तिफार्म तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 14.856 है0 वन भूमि के सम्बन्ध में।

संदर्भ –

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून का कार्यालय पत्रांक 8वी0/यू०सी०पी०/06/125/2018/एफ०सी०/1737, दिनांक 20.11.2018 एवं अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड (ए०डी०वी०) लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर का पत्रांक 597/2सी० दिनांक 20.12.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार आख्या प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऑनलाईन अपडेट कर दी गयी है। इस कार्यालय द्वारा भी वांछित बिन्दुओं पर आख्या अपलोड करने के पश्चात बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार प्रेषित है :-

बिन्दु सं0 1:- Corrected KML file has been uploaded at para C online part 1.

बिन्दु सं0 2:- As instructed by regional office, MOEFCC Geo-Cordinates at an interval of 200mt along the alignment of the proposed road including all turning points has been uploaded. Hard copy of the alignment showing the Geo-Cordinates at an interval of 200mt is being annexed. (**Annexure-1**)

बिन्दु सं0 3:- Correct justification document has been uploaded at para D (i) online part 1. Hard copy of the justification duly counter signed by the DFO is being annexed. (**Annexure-2**)

बिन्दु सं0 4:- As per MOEFCC guidelines No. 7-69/2011-FC(Pt.) dated 1st August, 2017 for conducting for benefit analysis for projects involving forest diversion table A No. 1 mentions that "Cost benefit analysis is not applicable on all categories of proposals upto 20 hectares in plains". Since this land transfer proposal is for 14.856 hectare forest land in plains hence cost benefit analysis is not applicable.

बिन्दु सं0 5:- No village has been mentioned in village wise breakup at para B 2.3 online part 1 because the proposed alignment from chainage k.m. 2.850 to chainage k.m. 15.230 falls entirely in reserve forest. Since no village falls in the proposed alignment hence no village has been mentioned in village wise breakup.

बिन्दु सं0 6:- Proceedings of SDLC dated 17.08.2017 has been uploaded. Original copy of the proceedings of SDLC is being annexed. (**Annexure-3**)

बिन्दु सं0 7:- The proposed road falls under only one district hence one area SDLC is only needed and it has been uploaded.

बिन्दु सं0 8:- Muck dumping proposal is not required in this proposal because the road is proposed on an existing alignment where no fresh cutting/digging of land is involved. Since no muck will be generated hence no muck disposal plan is required.

बिन्दु सं 9:- As per the MOEFCC guidelines No. F.no. 11-306/2014-FC dated 8th Aug. 2014. transfer and mutation of equivalent non forest land for compensatory afforestation is required. Since this proposal is for land transfer of 14.856 ha. reserve forest land hence the user agency has to provide 14.856 ha. non forest land or 29.712 ha. degraded forest land. Since the user agency has provided non forest land hence the user agency has to provide only 14.856 ha. non forest land. But the user agency has provided 24.042 ha. non forest land in Haridwar District which is already 9.042 ha. in excess than desired. Hence revised ownership proof is not needed.

बिन्दु सं 10:- Digital map of CA area counter signed by DFO, Haridwar has been uploaded. Original hard copy of the digital map of CA area counter signed by DFO, Haridwar is being annexed. (**Annexure 4**).

बिन्दु सं 11:- Area of CA mentioned at para L (iv)b in Para I and para 13 (i) in Part II is correct as explained above in point no. 9 since the user agency has provided non forest land for compensatory afforestation hence equivalent land was to be provided. Since the proposed land transfer is for 14.856 ha. reserve forest land hence 14.856 ha. non forest land was to be provided by the user agency. This 14.856 ha. land for CA has been rounded off to 15.00 ha.

बिन्दु सं 12:- No of trees to be felled is mentioned as zero because no tree cutting is involved. The density mentioned is 0.6 because the proposed area for land transfer is part of barakoli forest block A and B and the density of barakoli forest block A and B is 0.6.

बिन्दु सं 13:- NPV calculation sheet has been submitted for Eco-value class Ist dense forest and not for very dense forest. Since the forests in barakoli forest block A and B are of Eco-value class Ist and the density is 0.6 hence the dense forest category has been fixed.

बिन्दु सं 14:- Justification for this point has been already explained in point no. 9 and 11.

बिन्दु सं 15:- CA scheme has been uploaded. Hard copy of the CA scheme counter signed by DFO, Haridwar is being annexed. (**Annexure 5**).

बिन्दु सं 16:- All the revised documents have been uploaded at the designated places. Hard copy of the revised documents is being annexed. (**Annexure 1 to 5**).

संलग्न— यथोपरि।

भवदेव,
WWB
(नीतीश मणि त्रिपाठी)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी।

पत्रांक 4954/12-। उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— वन संरक्षक, पश्चिमी यूत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
- 2— अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड (ए०डी०बी०) लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में।


नीतीश मणि त्रिपाठी
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी।

8/1C

ANNEXURE - I



जियो रेफरेन्स मैप— जनपद उधमसिंह नगर में रामा 74 किमी 239 (सिरसामोड़) कैम्प रोड से शवितफार्म तक मोटर मार्ग का निर्माण।



ID	Longitude	Latitude
1	79°34'45.85"E	28°52'41.82"N
2	79°34'57.96"E	28°52'59.85"N
3	79°35'2.12"E	28°53'6.30"N
4	79°35'6.00"E	28°53'12.10"N
5	79°35'9.70"E	28°53'17.70"N
6	79°35'13.70"E	28°53'23.90"N
7	79°35'17.70"E	28°53'29.70"N
8	79°35'30.69"E	28°53'49.18"N
9	79°35'38.60"E	28°54'1.20"N
10	79°35'41.26"E	28°54'5.06"N
11	79°35'44.22"E	28°54'9.49"N
12	79°35'49.37"E	28°54'17.53"N
13	79°35'52.89"E	28°54'22.90"N
14	79°35'58.58"E	28°54'31.58"N
15	79°36'4.62"E	28°54'40.89"N
16	79°36'11.06"E	28°54'50.84"N
17	79°36'12.30"E	28°54'52.90"N
18	79°36'16.10"E	28°54'58.70"N
19	79°36'20.25"E	28°55'4.73"N
20	79°36'28.11"E	28°55'16.49"N
21	79°36'31.90"E	28°55'22.47"N
22	79°36'35.82"E	28°55'28.55"N
23	79°36'39.60"E	28°55'34.40"N
24	79°36'51.50"E	28°55'52.40"N
25	79°36'51.50"E	28°55'52.40"N
26	79°36'59.00"E	28°56'3.90"N
27	79°37'4.99"E	28°56'12.79"N
28	79°37'10.09"E	28°56'20.57"N
29	79°37'14.55"E	28°56'27.29"N
30	79°37'18.96"E	28°56'33.92"N
31	79°37'22.80"E	28°56'39.60"N
32	79°37'27.42"E	28°56'46.67"N
33	79°37'34.50"E	28°56'57.20"N
34	79°37'38.53"E	28°57'3.52"N
35	79°37'42.15"E	28°57'9.02"N
36	79°37'46.14"E	28°57'15.09"N
37	79°37'50.03"E	28°57'21.01"N
38	79°37'53.84"E	28°57'26.80"N
39	79°37'57.49"E	28°57'32.34"N
40	79°38'0.71"E	28°57'37.18"N
41	79°38'3.16"E	28°57'40.65"N
42	79°38'6.13"E	28°57'45.16"N
43	79°38'9.83"E	28°57'50.77"N
44	79°38'13.70"E	28°57'56.70"N
45	79°38'17.85"E	28°58'2.94"N
46	79°38'25.27"E	28°58'14.21"N
47	79°38'36.62"E	28°58'31.58"N
48	79°38'40.83"E	28°58'38.06"N
49	79°38'46.78"E	28°58'47.20"N
50	79°38'49.26"E	28°58'54.51"N
51	79°38'51.89"E	28°59'7.56"N
52	79°38'53.79"E	28°59'17.01"N
53	79°38'54.90"E	28°59'23.70"N
54	79°38'57.70"E	28°59'37.60"N
55	79°38'58.80"E	28°59'44.00"N
56	79°39'1.84"E	28°59'57.33"N
57	79°39'2.17"E	29°0'2.35"N
58	79°39'4.40"E	29°0'7.26"N
59	79°39'6.51"E	29°0'12.81"N
60	79°39'10.29"E	29°0'21.20"N
61	79°39'10.55"E	29°0'23.89"N
62	79°39'6.31"E	29°0'29.03"N
63	79°38'53.48"E	29°0'33.72"N
64	79°38'57.78"E	29°0'41.79"N
65	79°39'1.34"E	29°0'54.69"N

परियोजना का नाम :- जनपद ऊधमसिंह नगर में रामा 0 74 कि०मी० 239 (सिरसा मोड़) कैम्प रोड से शक्तिफार्म तक मोटर मार्ग का निर्माण।

Justification for Locating the Project in forest land

वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 74 के कि०मी० 239 (सिरसा मोड़) कैम्प से शक्तिफार्म तक मोटर मार्ग जो कि पूर्व से ही पक्के मार्ग के रूप में निर्मित है, के सुदृढ़ीकरण एवं सुधारीकरण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित समरेखण के अतिरिक्त मार्ग निर्माण के अन्य विकल्प हेतु किसी भी प्रकार की भूमि उपलब्ध नहीं है। उक्त मार्ग के निर्माण किये जाने से मार्ग की न्यूनतम लम्बाई के कारण ग्राम शहदौरा, बसगर, कुसमोड़, निर्मल नगर, टैगौर नगर (शक्तिफार्म) आदि की 6309 जनसंख्या को लाभ होगा तथा ग्रामवासियों को शिक्षा, चिकित्सा, विषणन क्षेत्र आदि में पर्याप्त लाभ मिल सकेगा। इसी के साथ लघु कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा जिससे रोजगार के साधन विकसित होंगे। इस मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं सुधारीकरण किये जाने से सिडकुल सितारगंज औद्यौगिक क्षेत्र तक बड़े वाहनों के आवागमन में सुविधा रहेगी। उक्त मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं सुधारीकरण से कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

अतः पूर्व में निर्मित पक्के मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं सुधारीकरण हेतु एकमात्र समरेखण के वन क्षेत्र में पड़ने के कारण न्यूनतम वनभूमि की मांग की जा रही है।

9/6
 निर्माण क्षेत्र का विवर
 एवं पूर्वी वन प्रभाव
 दृष्टावी.


 (Er. ASHOK KUMAR)
 Executive Engineer
 Construction Division (A.D.B.)
 P.W.D. Rudrapur (U. S. Nagar)


 (ए० अशोक कुमार)
 सहायक अधिकारी-॥
 निर्माण बांड (ए०डी. बी०) सौ.नि.वि.
 रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)

परियोजना का नामः— रा०मा०-७४ कि०मी० २३९ (सिरसा मोड़) कैम्प रोड़ से शक्तिफार्म तक मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र जिला स्तरीय समिति, ऊधमसिंह नगर

जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत सितारगंज ब्लाक (14.856 हेए आरक्षित वन भूमि, सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 हेए वन पंचायत भूमि 0.00 हेए, अर्थात कुल 14.856 हेए वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति, (जनपद ऊधमसिंह नगर) की दिनांक 17/08/2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक डॉ० नीरज खैरवाल, जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

क्र० सं०	नाम	पदनाम	अध्यक्ष/ सदस्य	हस्ताक्षर
1.	डॉ० नीरज खैरवाल	जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर	अध्यक्ष	
2.	श्री नितिश मणी त्रिपाठी	प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी	सदस्य	
3.	श्री पी०सी० जोशी	जिला समाज कल्याण अधिकारी, ऊधमसिंह नगर	सचिव/ सदस्य	
4.	श्रीमती जगवती	जिला पंचायत सदस्य	सदस्य	
5.	श्रीमती पूनम राणा	जिला पंचायत सदस्य	सदस्य	
6.	श्री रविन्द्र सिंह राणा	जिला पंचायत सदस्य	सदस्य	

जिला सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि विकास खण्ड सितारगंज में रा०मा०-७४ कि०मी० २३९ (सिरसा मोड़) कैम्प रोड़ से शक्तिफार्म तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य परियोजना हेतु 14.856 हेए आरक्षित वन भूमि का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग/प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लग्यित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधिक रूप से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

(2)

बैठक में सर्वसमति से जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत रामा-74 किमी 239 (सिरसा भोड़) कैम्प रोड से शक्तिफार्म तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हेतु 14.856 हेक्टर भूमि लोक निर्माण विभाग/प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।




जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
जनपद ऊधमसिंह नगर.

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
जनपद ऊधमसिंह नगर.

डिजिटल मैप—जनपद उघम सिंह नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-74 के 239 किमी0 (सिरसामोड) कैप रोड से शक्ति फार्म तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल—



Legend

0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0
km


- Proposed_Land
- Reserve Forest Boundary
- Reserve Forest Area
- Range_Boundary
- Division_Boundary

उप वन संरक्षक
हरिद्वार वन प्रभाग
हरिद्वार


Ally

(Er. ASHOK KUMAR)
Executive Engineer
Construction Section (A.D.B.)
P.W.D. Project, Nagaon

जियो रैफरेन्स मैप—जनपद उघम सिंह नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0—74 के 239 किमी0 (सिरसामोड) कैप रोड से शक्ति फार्म तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल—



Legend



● GPS_Points




Proposed_Land

[Signature]
उप यन संरक्षक
हरिद्वार यन प्रभाग
हरिद्वार

(Er. ASHOK KUMAR)
Executive Engineer
Construction Division (A.D.B)
P.W.D. Pashanpur I.A.S. Nagar

ID	Longitude	Latitude
1	78°12'26.42"E	29°46'48.80"N
2	78°12'9.06"E	29°47'2.68"N
3	78°12'17.41"E	29°47'8.25"N
4	78°12'29.10"E	29°46'59.11"N

गूल मानचित्र-जनपद ऊर्धमसिंह नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं-74 के 239 किमी (सिरसामोड़) कैम्प रोड से शक्ति कार्म मोटर मार्ग निर्माण हेतु
क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल-क्षेत्रफल-15.00हेक्टर



Om

(Er. ASHOK KUMAR)

Executive Engineer

Construction Division (E.D.B.)
P.W.D. Project Unit (U.P.) Noida

उप वर्त संसदार्क
हरिहर दल प्रभाना
लखनऊ

Google Earth

जनपद उधमसिंह नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं-74 के 239 किमी० (सिरसामोड़) कैम्प रोड से शक्ति फार्म तक मोटर मार्ग निर्माण के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जनपद हरिद्वार के ग्राम दुधलादयालवाला उर्फ टांटवाला परगना नजीवावाद तहसील व जिला हरिद्वार में 15.00 है० पर होने वाले व्यय का वर्षवार विवरण का प्रस्तावित प्राकलन (वर्ष 2018-19 की प्रचलित विभागीय दरों के आधार पर)

क्र० सं०	कार्य का विवरण	ईकाई (है०)	दर/है०	योग
1.	अग्रिम मृदा कार्य (प्रथम वर्ष)	15.00	155594.00	233910.00
2.	वृक्षारोपण कार्य (द्वितीय वर्ष)	15.00	49520.00	742800.00
3.	वृक्षारोपण अनुरक्षण (तृतीय वर्ष)	15.00	19829.00	297435.00
4.	वृक्षारोपण अनुरक्षण (चतुर्थ वर्ष)	15.00	19829.00	297435.00
5.	वृक्षारोपण अनुरक्षण (पंचम वर्ष)	15.00	19829.00	297435.00
6.	वृक्षारोपण अनुरक्षण (षष्ठम वर्ष)	15.00	20864.00	312960.00
7.	वृक्षारोपण अनुरक्षण (सप्तम वर्ष)	15.00	20864.00	312960.00
8.	वृक्षारोपण अनुरक्षण (आठम वर्ष)	15.00	20864.00	312960.00
9.	वृक्षारोपण अनुरक्षण (नवम वर्ष)	15.00	22144.00	332160.00
10.	वृक्षारोपण अनुरक्षण (दशम वर्ष)	15.00	22194.00	332910.00
			योग	5572965.00
			या	55,72,900.00

(रु० पचपन लाख बहत्तर हजार नौ सौ मात्र)

उप विकास विभाग
हरिद्वार वन प्रभाग
हरिद्वार

180 अस्तित्व का अविद्युत रूप

A. 212



CANNEXURE - 57

जनपद उधमसिंह नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं ०-७४ के 239 किमी० (सिरसामाड़) कैम्प रोड़ से शवित्त फार्म तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में

क्षतिपूरण वृक्षारोपण हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र

विषयगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सापेक्ष जनपद हरिद्वार के ग्राम दुधलादयालवाला परगना नजीबाबाद, तहसील व जिला हरिद्वार में 15.00 है० सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित की गई है। इस क्षेत्र में वन्य जीवों— यथा चीतल, सांभर, हाथी, गुलदार, बारहसिंघा, नीलगाय आदि की बहुतायत में उपस्थिति है। मृदा, जलवायु और अन्य प्राकृतिक कारक वनीकरण के लिए उपयुक्त हैं।

अतः प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 15.00 है० भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है, परन्तु वनीकरण की प्रारम्भिक रिथति में इसको वन्य जीवों से बचाने के विशेष इन्तजाम (सोलर फैन्सिंग/ ऊंची दीवार आदि) करने अपरिहार्य होंगे।

उप वन संदेशक
हरिद्वार वन प्रभाग
हरिद्वार